



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.एच.-अ.-15072026-274519
CG-JH-E-15072026-274519

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 565]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 565]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

श्रम और रोज़गार मंत्रालय

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

अधिसूचना

धनबाद, 10 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 623(अ).— उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 172 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के तहत मुझे मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उज्ज्वल ताह, खानों के मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता (और खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी नामित), उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 172 के उप-नियम (1) और (2) के तहत गठित समिति की सिफारिश के आधार पर, प्रशिक्षकों और इंस्ट्रक्टरों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण भत्ते को इस प्रकार निर्धारित करता हूँ:

दायरा: यह मानक उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 172 के उप-नियम (1) और उप-नियम (2) के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षकों और इंस्ट्रक्टरों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण भत्ते को निर्धारित करता है।

लागू होना: यह मानक कोयला, धातु और तेल खदानों की प्रशिक्षण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (केंद्रीय) नियम, 2026 के नियम 163 के तहत स्थापित सभी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों पर लागू होता है।

अनुपालन की आवश्यकता:

ट्रेनर को प्रशिक्षण भत्ता: - हर ट्रेनर को, उसकी सामान्य मज़दूरी के अलावा, मालिक, एजेंट या मैनेजर द्वारा हर उस दिन के लिए प्रति ट्रेनी कम से कम ₹50 का ट्रेनिंग भत्ता दिया जाएगा, जिस दिन ट्रेनी ने उसकी देखरेख में काम किया हो। एक समय में एक ट्रेनर के अधीन दो से अधिक ट्रेनी नहीं रखे जाएंगे।

बशर्ते कि इसमें दी गई कोई भी बात कंपनी की किसी ऐसी योजना के कामकाज पर असर न डाले जो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, और वह ऊपर बताई गई दर से ज़्यादा मान्य होगी।

इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग भत्ता:

ट्रेनिंग सेंटर में नियमित रूप से नियुक्त इंस्ट्रक्टर के अलावा, हर इंस्ट्रक्टर को मालिक, एजेंट या मैनेजर द्वारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देने के लिए उसकी सामान्य मज़दूरी के अलावा, स्थिति के अनुसार कम से कम ₹1000 या प्रति दिन का ट्रेनिंग भत्ता दिया जाएगा।

बशर्ते कि किसी मामले में, यदि ऐसे प्रशिक्षक को दिन के केवल एक हिस्से में सीमित संख्या में व्याख्यान के लिए प्रशिक्षण देने हेतु नियुक्त किया जाता है, तो उसे अनुपातिक रूप से भत्ता दिया जा सकता है:

इसके अलावा, इसमें दी गई कोई भी बात कंपनी की किसी ऐसी योजना के कामकाज पर असर नहीं डालेगी जो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो; ऐसी योजना ऊपर बताई गई दर पर लागू होगी।

[फा. सं. डीजीएमएस/03-7/2026/सीएमसी (मुख्यालय)]

उज्ज्वल ताह, मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता (माइंस)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Directorate General Of Mines Safety)

NOTIFICATION

Dhanbad, the 10th July, 2026

G.S.R. 623(E).— In exercise of the powers conferred on me under sub-Rule (1) and sub rule (2) of Rule 172 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, I, Ujjwal Tah, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines, also designated as the Director General of Mines Safety, hereby, based on the recommendation of the committee constituted under sub-rule (1) & (2) of rule 172 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026, specify the training allowance to be paid to trainers and instructors as follows:

Scope: This standard specifies the training allowance to be paid to trainers and instructors of a Vocational Training centre under sub-Rule (1) and sub-Rule (2) of Rule 172 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026.

Applicability: This standard is applicable to all Vocational Training Centres established under Rule 163 of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Central) Rules, 2026 for catering the training needs of Coal, Metalliferous and Oil Mines

Compliance Requirements:

Training allowance to the Trainer: - Every trainer shall, in addition to his normal wages, be paid by the owner, agent or manager a training allowance of minimum Rs.50/- per trainee for every day, a trainee has worked under his supervision. Not more than two trainees shall be placed under the charge of a trainer at a time.

Provided that nothing contained herein shall affect the operation of any scheme of the Company which is more beneficial and it shall prevail over the above stipulated rate.

Training allowance to the instructor:

Every instructor, other than the instructor under regular appointment at training centre shall be paid by the owner, agent or manager a training allowance of minimum Rs.1000/- per day for imparting training in vocational training centre in addition to his normal wages:

Provided that where in any case, such instructor is engaged for imparting training for a limited number of lectures spanning over only a part of a day, he may be paid the allowance proportionately:

Provided further that nothing contained herein shall affect the operation of any scheme of the Company which is more beneficial and it shall prevail over the above stipulated rate.

[F. No. DGMS/03-7/2026/CMC(HQ)]

UJJWAL TAH, Chief Inspector-cum-Facilitator of Mines